



फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट



दिनांक :- 30.06.2025

फतेहगढ़ पुलिस द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 196/2025 में वांछित अभियुक्त पर 25 हजार रु0 का इनाम घोषित किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 196/2025 धारा- 137(2)/65(2)/103(1) बीएनएस व 5(J)(IV)(M)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. मनु पुत्र लटूरी उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पखना थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को अथक प्रयास के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये एवं जनसहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उदघोषित किया जाता है कि अभियुक्त मनु पुत्र लटूरी उपरोक्त को जो व्यक्ति बन्दी बनायेगा या पुलिस को अभियुक्त की सही सूचना देगा उसे अभियुक्त के नाम के सामने अंकित धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा। घोषित पुरस्कार की धनराशि सन्तुष्टि होने पर बजट सीमा के अन्दर ही दी जायेगी।

अभियुक्त पर घोषित पुरस्कार की धनराशि से अधिक धनराशि का पुरस्कार उच्चाधिकारियों या शासन द्वारा घोषित किया जाता है, तो यह पुरस्कार स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, अधिकतम पुरस्कार ही मान्य होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, तो ऐसी दशा में पुरस्कार की धनराशि जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी।

क्र० सं०	नाम पता अपराधी	वांछित अपराध	पुरस्कार की धनराशि
1	मनू पुत्र लटूरी उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पखना थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।	मु०अ०सं०- 196/2025 धारा- 137(2)/65(2)/103(1) बीएनएस व 5(J)(IV)(M)/6 पाक्सो एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।	25,000 रु०

मीडिया सेल फतेहगढ़।